संतोष सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह उम्र करीब ४७ वर्ष निवासी मकान नं. ४१७ ग्राम बकुवाँ बुजुर्ग तहसील व जिला झाँसी

-------याची

प्रति

१. अजय पुत्र रामू निवासी C/O कमल सिंह पुत्र श्री बैजनाथ मकान नं. ६१ नन्दनपुरा थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी उ. प्र., स्थायी निवासी दतिया कुड़राया म. प्र. - ४७५६६१

.........मालिक आपे सं. यू. पी. ९३ बी टी ७४१७

२. मुश्ताक खाँ पुत्र श्री वही खाँ उम्र रीब ३९ वर्ष निवासी मकान नं. ३९ सराय मोहल्ला थाना कोतवाली जिला झाँसी, उ .प्र.

..........चालक आपे सं.यू.पी. ९३ बी टी ७४१७

३. श्रीराम जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि. ई-८ EPIP सीतापुर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर राजस्थान जरिए शाखा प्रबन्धक ब्रांच ४५३ सिविल लाइन्स, स्टीफन हाउस ग्राउण्ड फ़्लोर, मुन्ना लाल पावर हाउस के सामने ग्वालियर रोड़, झाँसी

.........बीमा कम्पनी आपे सं. यू. पी. ९३ बी टी ७४१७

-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री सचिन मिश्रा
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री राजीव शर्मा

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा संतोष सिंहर को मोटर वाहन दुर्घटना मे आयी उपहति पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता को २४बी राजीनामा पर विगत नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याची सन्तोष व विपक्षी सं. ३ श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स के मध्य हुआ सुलहनामा २४बी उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा विगत नियत तिथि ०९.१२.२० को तस्दीक किया जा चुका है। २४बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ २५,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २४बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा २४बी में दर्शित कुल ₹ २५,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २४बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा २४बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २४बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ श्रीराम इश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ **२५,००० (पच्चीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Syndicate Bank A/c 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर धनराशि जमा होने पर अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त कर सकेंगें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:28:16 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi